116

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 18 अगस्त, 1975

श्रावण 27, 1897 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 3136/सत्रह-वि0-1--99-75

लखनऊ, 18 अगस्त, 1975

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) विधेयक, 1975 पर दिनांक 14 अगस्त, 1975 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1975 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) अधिनियम, 1975

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1975]

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

सभी मंत्रियों तथा विधायकों और उनके परिवार के सदस्यों की आस्तियों तथा दायित्वों का विवरण प्रकाशित करने, और तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) अधिनियम, 1975 कहलाएगा। संक्षिप्त नाम

2--जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में-- परिभाषायें

(क) "आस्तियों" का तात्पर्य, किसी व्यक्ति के संबंध में, निम्नलिखित से है :--

(1) स्थावर सम्पत्ति में स्वामी, बन्धककर्ता, पट्टाकर्ता, पट्टेदार के रूप में या अन्यथा उसके अधिकार, हक या हित ;

(2) किसी कारोबार, व्यापार या औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक प्रोद्यम में, चाहे उसका संचालन लाभ के उद्देश्य से किया जाता हो या नहीं, उसके अधिकार, हक या हित;

(3) नकद रखी गई (पांच हजार रुपये से अधिक) कोई भी धनराशि;

(4) बैंक बैलेन्स जिसके अन्तर्गत सावधि निक्षेप भी है;

(5) अंश, स्टाक, ऋण-पत्र तथा अन्य प्रतिभूतियां;

(6) मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 में यथा परिभाषित मोटर गाड़ियां;

(7) बीमा की पालिसियां;

(8) आभूषण (जो अंगूठी, इयरिंग, चूड़ियां, बटन, कफ लिंक, घड़ी, घड़ी के फीते तथा इसी प्रकार की वस्तुओं से भिन्न हों, जिन्हें ऐसा व्यक्ति सामान्यतया प्रतिदिन पहनता हो);

(ख) "परिवार" का तात्पर्य किसी मंत्री या विधायक के संबंध में, निम्नलिखित से है:—

(1) उसका पति या उसकी पत्नी (जो न्यायिक रूप से पृथक किये हुए पति या पत्नी न हो);

(2) उसके अवयस्क बच्चे; और

(3) रक्त या विवाह द्वारा उससे संबंधित और उस पर पूर्णतया आश्रित कोई अन्य व्यक्ति;

(ग) "विधायक" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के किसी भी एक सदन के सदस्य से है, और इसके अन्तर्गत मंत्री भी हैं जो इस प्रकार का सदस्य हो;

(घ) "दायित्व" के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के संबंध में, पांच हजार रुपये से अनधिक धनराशि तक का दायित्व नहीं है;

(ङ) "मंत्री" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश मंत्रि-परिषद् के सदस्य से है;

(च) "सचिव" का तात्पर्य किसी विधायक के संबंध में राज्य विधान मण्डल के जिस सदन का वह सदस्य है, उसके सचिव से है और किसी ऐसे मंत्री के संबंध में, जो विधायक न हो, विधान सभा के सचिव से है।

मंत्रियों तथा विधायकों की सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करने का कर्तव्य

3—(1) प्रत्येक मंत्री या विधायक दिनांक 7 जून, 1975 से तीन मास की अवधि के भीतर अपनी तथा अपने परिवार के सदस्यों की सभी आस्तियों और दायित्वों का, जैसा कि वे उक्त दिनांक को हों, विवरण प्रथम अनुसूची में दिये गए प्रपत्र में सचिव को प्रस्तुत करेगा।

(2) उक्त दिनांक के पश्चात् मंत्री के रूप में नियुक्त अथवा विधायक के रूप में निर्वाचित या नाम-निर्देशित प्रत्येक व्यक्ति, यथास्थिति, ऐसे निर्वाचन, नाम-निर्देशन या नियुक्ति के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवरण सचिव को प्रस्तुत करेगा।

(3) प्रत्येक व्यक्ति मंत्री या विधायक के रूप में पदासीनता की समाप्ति पर आस्तियों तथा दायित्वों का, जैसा कि वे समाप्ति के दिनांक को हों, तत्समान विवरण, ऐसे दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा।

अर्जन तथा व्ययन का वार्षिक विवरण

4—प्रत्येक मंत्री या विधायक, अपनी सम्पूर्ण पदावधि में प्रति वर्ष जून के तीसवें दिनांक को अथवा उसके पूर्व पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने द्वारा और अपने परिवार के किसी सदस्य द्वारा भी अर्जित या व्ययित समस्त आस्तियों या उपगत दायित्वों का विवरण द्वितीय अनुसूची में दिए गये प्रपत्र में सचिव को प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण 1—यदि ऐसे व्यक्ति ने और उसके परिवार के किसी सदस्य ने किसी विशिष्ट वर्ष के दौरान न तो किसी आस्ति का अर्जन और न व्ययन किया हो तो भी वह इस धारा के अधीन एक "शून्य" विवरण प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण 2—इस धारा के प्रयोजनार्थ, पद "अर्जित" का तात्पर्य किन्हीं आस्तियों के संबंध में क्रय, दान, वसीयत, पट्टा, विनिमय, बन्धक, विभाजन या पारिवारिक समझौते द्वारा उसके अर्जन से है।

विवरण का बाद में संशोधन

5—यदि धारा 3 या धारा 4 के अधीन विवरण प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को बाद में यह पता चले कि उस विवरण में कोई लोप या भूल है तो वह ऐसी शुद्धि का, जिसे वह प्रकाशित कराना चाहे, ब्योरा देते हुए एक विवरण सचिव को प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे विवरण के साथ प्रथम अनुसूची में दिये गये प्रपत्र में घोषणा संलग्न होगी।

विवरण का गजट में प्रकाशन

6—(1) सचिव, जो विवरण प्रस्तुत किये गये हों उन सबको और जिन मंत्रियों तथा विधायकों से समय के भीतर ऐसे विवरण प्राप्त न हुए हों, उन सभी के नाम भी, धारा 3 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् और प्रति वर्ष धारा 4 में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र, तृतीय अनुसूची में दिये गये प्रपत्र में गजट में प्रकाशित करेगा।

(2) सचिव धारा 3 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन अथवा धारा 5 के अधीन उसे प्रस्तुत किये गये प्रत्येक विवरण को भी प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र गजट में प्रकाशित करेगा।

(3) यदि सचिव को किसी ऐसे मंत्री या विधायक से जिसने धारा 3 या धारा 4 में उल्लिखित अवधि के भीतर विवरण प्रस्तुत न किया हो, बाद में कोई विवरण प्राप्त हो तो वह उसे गजट में इस टिप्पणी के साथ प्रकाशित करेगा कि वह उसे उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त हुआ था।

किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष विवरण या घोषणा का साबित किया जाना

7--(1) धारा 3, धारा 4, धारा 5 या धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन सचिव को प्रस्तुत किये गये विवरण या घोषणा को किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष गजट की, जिसमें उसको धारा 6 के अधीन प्रकाशित किया गया है, एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करके साबित किया जा सकता है।

(2) विधान मण्डल के किसी सदन के सचिव या सचिवालय कर्मचारिवर्ग के किसी अन्य सदस्य को मूल विवरण या घोषणा को प्रस्तुत करने अथवा उसके संबंध में किसी अन्य तथ्य को साबित करने के लिये साधारणतया समन नहीं किया जायेगा।

(3) यदि कोई न्यायालय या अन्य प्राधिकारी अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से मूल विवरण या घोषणा का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक समझता है तो वह, यथास्थिति, विधान सभा के अध्यक्ष या विधान परिषद् के सभापति को सदन की अनुज्ञा के लिए एक अनुरोध-पत्र भेजेगा कि ऐसे न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष मूल विवरण या घोषणा को सदन के सचिवालय के कर्मचारिवर्ग के किसी सदस्य के माध्यम से प्रस्तुत करा दिया जाय, और तत्पश्चात् उसको साक्षी के रूप में परीक्षा की जा सकेगी।

अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही का संरक्षण

8--इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में किये गये या किये जाने वाले आशयित किसी कार्य के लिये और विशेष रूप से किसी सामग्री के प्रकाशन के लिये राज्य सरकार के विरुद्ध या सचिव के विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

निरसन तथा अपवाद

9--(1) उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) अध्यादेश, 1975 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या किया गया कोई कार्य इस अधिनियम के अधीन की गई बात या किया गया कार्य समझा जायगा मानों यह अधिनियम 7 जून, 1975 को प्रवृत्त हो गया था।

प्रथम अनुसूची

उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) अधिनियम, 1975 की धारा 3 (1) के अधीन मंत्री/विधायक की आस्तियों तथा दायित्वों का विवरण जैसा कि वह दिनांक ----------को थीं।

1--नाम----------

2--पता----------

3--मंत्री, स० वि० स० अथवा स० वि० प०

4--यदि निर्वाचित हुए हों तो निर्वाचन-क्षेत्र का नाम उल्लिखित कीजिए (नाम निर्देशन की दशा में, नाम निर्देश का तथ्य उल्लिखित किया जाय) ---------- ----------

प्रपत्र 1

मंत्री/विधायक या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा धृत कृषि भूमि का ब्योरा:

क्रम-संख्या	अभिलिखित खातेदार का नाम तथा परिवार के किसी सदस्य की दशा में मंत्री या विधायक से उसका सम्बन्ध	विवरण तथा स्थिति	गाटा संख्या या ग्राम अभिज्ञान संख्या	क्षेत्रफल एकड़ों में	मू-राजस्व
1	2	3	4	5	6

टिप्पणी 1--कृषि भूमि का प्रत्येक मद पृथक-पृथक दिया जाना चाहिए।

टिप्पणी 2--सम्पत्ति का विवरण तथा स्थिति इस प्रकार दी जानी चाहिए जिससे कि सम्पत्ति तथा उसकी सीमा साफ-साफ पहिचानी जा सके। गाटा संख्या और (अथवा सर्वेक्षण संख्या तथा ग्राम) तहसील का नाम सदैव उल्लिखित किया जाना चाहिए।

प्रपत्र 2

मंत्री/विधायक या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा धृत (कृषि भूमि से भिन्न) स्थावर सम्पत्तियों का ब्योरा :

क्रम-संख्या	व्यक्ति जिसके नाम सम्पत्ति हो तथा परिवार के किसी सदस्य की दशा में मंत्री या विधायक से उसका सम्बन्ध	विवरण तथा स्थिति	अभिज्ञान संख्या या सीमा	अधिकार, हक या हित का प्रकार (अर्थात् क्या स्वामी, बंधककर्ता, बन्धकदार, पट्टाकर्ता, पट्टेदार के रूप में या किसी अन्य हैसियत से धृत है)
1	2	3	4	5

टिप्पणी 1—सम्पत्ति का प्रत्येक मद पृथक-पृथक दिया जाना चाहिए ।

टिप्पणी 2—सम्पत्ति का विवरण तथा स्थिति इस प्रकार दी जानी चाहिए जिससे कि सम्पत्ति तथा उसकी सीमा साफ-साफ पहिचानी जा सके। गाटा संख्या और/अथवा सर्वेक्षण संख्या तथा ग्राम/तहसील का नाम सदैव उल्लिखित किया जाना चाहिए।

प्रपत्र 3

किसी कारोबार, व्यापार या औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रोद्यम में मंत्री/विधायक या उसके परिवार के किसी सदस्य के अधिकार, हक या हित का ब्योरा :

क्रम-संख्या	प्रोद्यम या व्यापार संस्था का नाम, यदि कोई हो	स्थिति	उसमें उसके अधिकार, हक या हित का प्रकार तथा विवरण
1	2	3	4

टिप्पणी 1—मंत्री/विधायक या उसके परिवार के सदस्यों के अधिकार, हक या हित का ब्योरा स्तम्भ 4 में पृथक-पृथक दिया जाना चाहिए ।

टिप्पणी 2—परिवार के सदस्यों की दशा में, मंत्री/विधायक से उनके सम्बन्ध को भी विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

प्रपत्र 4

मंत्री या विधायक के स्वामित्व में या उसके द्वारा धृत जंगम सम्पत्तियों का ब्योरा :

क्रम-संख्या	आस्तियों का प्रकार	तखमीनी कीमत या मूल्य	अभ्युक्ति
1	नकद (5,000 रुपये से अधिक)	रु0	
2	बैंक बैलेन्स (बैंकों के नाम सहित)— (क) सावधि निक्षेप (ख) बचत बैंक (ग) चालू खाता (घ) डाकघर (ङ) लोक भविष्य निधि (डाकघर) (च) अन्य		
3	अंश, स्टाक, ऋण-पत्र तथा अन्य प्रतिभूतियां (जिसके अन्तर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा जारी की गयी यूनिट भी है) ..		
4	मोटर गाड़ियां (मेक, माडल तथा रजिस्ट्रीकरण संख्या के ब्योरे सहित) ..		
5	जीवन बीमा पालिसी (पालिसी संख्या, क्या वह भारतीय जीवन बीमा निगम या डाक जीवन बीमा की है, वार्षिक प्रीमियम तथा बीमाकृत धनराशि के ब्योरे सहित) ..		
6	आभूषण (प्रत्येक मूल्यवान धातु अथवा पत्थर के आभूषणों का कुल वजन निर्दिष्ट किया जाय)		
	कुल मूल्य ..		

प्रपत्र 5

मंत्री या विधायक के परिवार के सदस्यों के स्वामित्व में या उनके द्वारा धृत जंगम सम्पत्तियों का ब्योरा :

क—परिवार के सदस्य का नाम——————————

ख—श्री————————————(मंत्री/स0 वि0 स0/स0 वि0 प0) से संबंधित।

ग—सम्बन्ध का प्रकार

क्रम-संख्या	आस्तियों का प्रकार	तखमीनी कीमत या मूल्य	अभ्युक्ति
1	नकद (5,000 रुपये से अधिक) जो पास में हो	रु0	
2	बैंक बैलेन्स (बैंकों के नाम सहित) .. (क) सावधि निक्षेप (ख) बचत बैंक (ग) चालू खाता (घ) डाकघर (ङ) लोक भविष्य निधि (डाकघर) (च) अन्य		
3	अंश, स्टाक, ऋण-पत्र तथा अन्य प्रतिभूतियां (जिसके अन्तर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा जारी की गई यूनिट भी हैं)		
4	मोटर गाड़ियां (मेक, माडल तथा रजिस्ट्रीकरण संख्या के ब्योरे सहित)		

क्रम-संख्या	आस्तियों का प्रकार	तत्समीपी कीमत या मूल्य	अभ्युक्ति
	5—जीवन बीमा पालिसी (पालिसी संख्या का ब्योरा, क्या वह भारतीय जीवन बीमा निगम, या डाक जीवन बीमा की है, वार्षिक प्रीमियम तथा बीमाकृत धनराशि का ब्योरा सहित)		
	6—आभूषण (प्रत्येक मूल्यवान धातु अथवा पत्थर के आभूषणों का कुल वजन निर्दिष्ट किया जाय।)		
	कुल योग ..		

टिप्पणी—यदि परिवार में एक से अधिक सदस्य हों तो प्रत्येक ऐसे सदस्य के लिये पृथक विवरण तैयार किया जायगा।

प्रपत्र 6

दायित्व

क्रम-संख्या	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	उस व्यक्ति का नाम जिसके प्रति उत्तरदायी हों	दायित्व का प्रकार	दायित्व की वर्तमान सीमा
1	2	3	4	5

घोषणा

मैं—————————————————पुत्र श्री——————————————— सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास में, इस विवरण में दी गयी सूचना सही और पूर्ण है।

स्थान——————————

दिनांक——————————

———————————

हस्ताक्षर

द्वितीय अनुसूची

उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) अधिनियम, 1975 की धारा 4 के अधीन वित्तीय वर्ष 197 से 197 के दौरान अर्जित या व्ययित समस्त आस्तियों या उपगत दायित्वों का विवरण :

1—मंत्री/स0 वि0 स0/स0 वि0 प0 या उसके परिवार के सदस्य का नाम——————————

2—पता——————————

3—परिवार के सदस्य की दशा में, मंत्री/स0 वि0 स0/स0 वि0 प0 से संबंध——————————

भाग 1

क्रम-संख्या	अर्जित या व्ययित आस्तियों का विवरण	अर्जन या व्ययन की रीति तथा दिनांक	उस व्यक्ति का नाम तथा पता जिससे अर्जित किया गया या जिसके हाथ व्ययन किया गया	ऐसे प्रतिफल, यदि कोई हों, की राशि, जिसके लिए अर्जन या व्ययन किया गया
1	2	3	4	5
				रु0
			कुल मूल्य ..	

भाग 2

क्रम-संख्या	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	उस व्यक्ति का नाम जिसके प्रति उत्तरदायी हों	दायित्व का प्रकार	वह दिनांक जब दायित्व उपगत किया गया	दायित्व की तखमीनी कीमत या मूल्य
1	2	3	4	5	6
					रु०
				कुल मूल्य	..

टिप्पणी—प्रत्येक मंत्री/विधायक का उसके परिवार के सदस्य की दशा में, पृथक विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

घोषणा

मैं----------पुत्र श्री----------

सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास में इस विवरण में दी गयी सूचना सही तथा पूर्ण है।

स्थान ----------

दिनांक----------

(हस्ताक्षर)

तृतीय अनुसूची

[उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) अधिनियम, 1975 की धारा 6 के अधीन अधिसूचना]

विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय,

लखनऊ, दिनांक----------

सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है कि नीचे उत्तर प्रदेश विधान सभा/परिषद् के उन सदस्यों के और ऐसे मंत्रियों के (जो राज्य विधान मण्डल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं) नाम हैं जिनसे प्रकाशन के लिए आस्तियों तथा दायित्वों का कोई विवरण प्राप्त नहीं हुआ है :—

(यहां पर नाम तथा निर्वाचन क्षेत्र का उल्लेख कीजिए और उन मंत्रियों की दशा में, जो विधायक नहीं हैं, मंत्री होने के दिनांक का उल्लेख कीजिए)।

2—सदस्यों/मंत्रियों से प्राप्त विवरण सर्वसाधारण की सूचना के लिए नीचे दिया जाता है :—

(यहां पर प्रत्येक सदस्य द्वारा दिया गया विवरण उद्धरित किया जायगा)।

हस्ताक्षर,

सचिव, विधान सभा/परिषद्

No. 3136 (2) /XVII-V--1-99-75

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Mantri Tatha Vidhayak (Astiyon Tatha Dayitwon Ka Prakashan) Adhiniaym, 1975 (Uttar Pradesh, Adhiniyam Sankhya 29 of 1975), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 14, 1975 :

THE UTTAR PRADESH MINISTERS AND LEGISLATORS (PUBLICATION OF ASSETS AND LIABILITIES ACT, 1975

(U. P. Act no. 29 of 1975)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

An

Act

to provide for publication of statement of assets and of liabilities of all Ministers and legislators and of the members of their families, and for matters connected therewith.

It is hereby enacted in the Twenty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Ministers and Legislators (Publication of Assets and Liabilities) Act, 1975.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires—

(*a*) "assets", in relation to any person, mean—

(i) his right, title or interest in immovable properties whether as owner, mortgager, lessor, lessee or otherwise ;

(ii) his right, title or interest in any business, trade or industrial or commercial venture, whether conducted with profit motive or not ;

(iii) any sum of money (in excess of five thousand rupees) kept in cash ;

(iv) bank balances, including fixed deposit ;

(v) shares, stocks, debentures and other securities ;

(vi) motor vehicles, as defined in the Motor Vehicles Act, 1939 ;

(vii) insurance policies ;

(viii) jewellery (other than rings, ear-rings, bangles, buttons, cuff-links, watches, watch straps and like articles which such person normally wears every day) ;

(*b*) "family", in relation to a Minister or legislator, means his or her—

(i) spouse (not being a judicially separated spouse) ;

(ii) minor children ; and

(iii) any other person related to him or her, whether by blood or marriage and wholly dependent on him or her ;

(*c*) "legislator" means a member of either House of the Uttar Pradesh State Legislature, and includes a Minister who is such a member ;

(*d*) "liability", in relation to any person, does not include a liability to the extent of an amount not exceeding five thousand rupees ;

(*e*) "Minister" means a member of the Uttar Pradesh Council of Ministers ;

(*f*) "Secretary", in relation to a legislator, means the Secretary of the House of the State Legislature of which he is member, and in relation to a Minister who is not a legislator, means the Secretary of the Legislative Assembly.

Duty of Ministers and Legislators to submit statement of properties.

3. (1) Every Minister or legislator shall, within a period of three months from seventh day of June, 1975 furnish to the Secretary a statement in the form set out in the First Schedule, of all his assets and liabilities and the assets and liabilities of members of his family as on the said date.

(2) Every person appointed as Minister or elected or nominated as a legislator after the said date shall furnish to the Secretary the statement referred to in sub-section (1) within a period of three months from the date of such election, nomination or appointment, as the case may be.

(3) Every person ceasing to hold office as Minister or legislator shall furnish a like statement of assets and liabilities as on the date of cessation within three months from such date.

Annual Statement of Acquisitions and Disposals.

4. Every Minister or legislator shall, throughout the term of his office, furnish to the Secretary on or before the thirtieth day of June every year, a statement in the form set out in the Second Schedule, of all assets acquired or disposed of or liabilities incurred by him and also by any member of his family during the preceding financial year.

Explanation I—If neither such person nor any member of his family has acquired or disposed of any asset or incurred any liability during a particular year a 'nil' statement shall nevertheless be submitted by him under this section.

Explanation II—For the purposes of this section, the expression "acquired", in relation to any assets, means its acquisition by purchase, gift, bequest, lease, exchange, mortgage, partition or family settlement.

Correction.

5. Where any person who has furnished a statement under section 3 or section 4 subsequently discovers any omission or mistake in such statement he may furnish a statement to the Secretary giving details of the correction he desires to be published. Such statement shall be accompanied by a declaration in the form set out in the First Schedule.

Publication of Statement in the Gazette.

6. (1) The Secretary shall, as soon as may be, after the end of the period referred to in sub-section (1) of section 3 and every year after the end of the period referred to in section 4 publish in the *Gazette* in the form set out in the Third Schedule all the statements as furnished to him and also the names of all Ministers and legislators from whom no such statements were received by him within time.

(2) The Secretary shall also publish in the *Gazette* every statement furnished to him under sub-section (2) or sub-section (3) of section 3 or under section 5, as soon as may be, after he receives them.

(3) If the Secretary subsequently receives any statement from any Minister or legislator who had failed to furnish the same within the period mentioned in section 3 or section 4 he shall publish the same in the *Gazette* with a note that the same was received by him after the expiration of the said period.

Proof of statement or declaration before any Court of authority.

7. (1) A statement or declaration furnished to the Secretary under section 3, section 4, section 5 or sub-section (3) of section 6 may be proved in any Court or before any authority by production of a copy of the *Gazette* in which it has been published under section 6.

(2) The Secretary or any other member of the secretarial staff of any House of the Legislature shall not ordinarily be summoned or required to produce the original statement or declaration or to prove any other fact in connection therewith.

(3) Where a Court or other authority, for reasons to be recorded, considers the production of the original statement or declaration to be necessary, a letter of request shall be sent by it to the Speaker of the Legislative Assembly or the Chairman of the Legislative Council, as the case may be, for leave of the House to have the original statement or declaration produced before such Court or authority through a member of the secretarial staff of the House who may thereupon be examined as a witness.

Protection of action taken in the Act.

8. No suit, prosecution or legal proceeding shall lie against the State Government or against the Secretary or against any other person for anything done or intended to be done, and in particular, for the publication of any matter in pursuance of the provisions of this Act.

Repeal and savings.

9. (1) The Uttar Pradesh Ministers and Legislators (Publication of Assets and Liabilities) Ordinance, 1975, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal

THE FIRST SCHEDULE

Statement of Assets and Liabilities of Minister/Legislator under section 3 (1) of the Uttar Pradesh Ministers and Legislators (Publication of Assets and Liabilities) Act, 1975 as on——————

1. Name .. ..
2. Address .. ..
3. Whether Minister/M.L.A./M.L.C. .. ..
4. If elected, state the name of the constituency (in the case of nomination, the fact of nomination be stated) .. ..

FORM I

Particulars of agricultural land held by the Minister/Legislator or members of his family

Serial no.	The name of the recorded tenure-holder and in the case of a member of family, his relationship with Minister or legislator	Description and situation	Plot no. or other identification no.	Area in acres	Land Revenue
1	2	3	4	5	6

Note 1—Each item of agricultural land should be listed separately.

Note 2—Description and situation of the property should be such as to enable the property and its boundaries to be clearly identified. Plot number and/or survey number and the name of village/Tahsil should invariably be mentioned.

FORM II

Particulars of immovable properties (other than agricultural land) held by Minister/Legislator or member of his family

Serial no.	Person in whose name property stands and in the case of a member of family, his relationship with the Minister or legislator	Description and situation	Identification no. of boundaries	Nature of right, title or interest (i.e. whether held as owner, mortgagor, mortgagee, lessor, lessee or in any other capacity)
1	2	3	4	5

Note 1—Each item of the property should be listed separately.

Note 2—Description and situation of the property should be such as to enable the property and its boundaries to be clearly identified. Plot number and/or survey number and the name of village/Tahsil should invariably be mentioned.

FORM III

Particulars of right, title or interest of Minister/Legislator or any member of his family in any business, trade or industrial or commercial venture

Serial no.	Name, if any, of the venture or concern	Location	Nature and description of his right, title or interest in it
1	2	3	4

Note 1—The details of the right, title or interest of the Ministers/Legislator or the members of the family should separately be listed in column no. 4.

Note 2—In the case of family members, the relationship with the Ministers/Legislator should also be specified.

FORM IV

Particulars of movable properties owned or held by Minister or Legislator

Serial no.	Nature of Assets	Approximate amount or value	Remarks
1	2	3	4
1	Cash in hand (exceeding Rs.5,000)	Rs.	
2	Bank balances (with the names of the Banks) —		
	(*a*) Fixed deposit		
	(*b*) Saving Bank		
	(*c*) Current Account		
	(*d*) Post office		
	(*e*) Public Provident fund (Post Office)		
	(*f*) Others		
3	Shares, stocks, debentures and other securities (including units issued by the Unit Trust of India).		
4	Motor vehicles (with details of make, model and registration no.)		
5	Life Insurance Policies (with details of Policy no., whether Life Insurance Corporation of India or Postal Life Insurance, yearly premium and the insured amount).		
6	Jewellery (Total weight of ornaments of each precious metal or stone may be specified).		
	Total value ...		

FORM V

Particulars of movable properties owned or held by family members of Minister or Legislator

A. Name of the family Member ... .

B. Related to Sri ... . (Minister/M.L.A./M.L.C.)

C. Nature of the relationship .. ..

Serial no.	Nature of assets	Approximate amount or value	Remarks
1	2	3	4
		Rs.	
1	Cash in hand (exceeding Rs.5,000).		
2	Bank balances (with the names of the Banks) —		
	(*a*) Fixed deposit		
	(*b*) Saving Bank		
	(*c*) Current Account		
	(*d*) Post office		
	(*e*) Public Provident fund (Post Office)		
	(*f*) Others		
3	Shares, stocks, debentures and other securities (including units issued by the Unit Trust of India).		
4	Motor vehicles (with details of make, model and registration no.).		
5	Life Insurance Policies (with details of policy no., whether Life Insurance Corporation of India or Postal Life Insurance, yearly premium and the insured amount).		
6.	Jwellery Total weight of ornaments of each precious metal or stone may be specified).		
	Total		

NOTE—If there are more than one family member, a separate statement shall be prepared for each such member.

FORM VI

Liabilities

Serial no.	Name of person liable	Name of person to whom liable	Nature of liability	Present extent of liability of

DECLARATION

I....., son of Sri....., solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in this statement is correct and complete.

PLACE..... .....

Date..... (*Signature*)

THE SECOND SCHEDULE

Statement under section 4 of the Uttar Pradesh Ministers and Legislators (Publication of Assets and Liabilities) Act, 1975, of all assets acquired or disposed of or liabilities incurred during the financial year 197.....197 197.....197.....

1. Name of Minister/M.L.A./M.L.C. or member of his family.....
2. Address.....
3. In the case of family member, relationship with the Minister/M.L.A./M.L.C.....

PART I

Serial no.	Description of assets acquired or disposed of	Manner and date of acquisition or disposal	Name and address of person from whom acquired or to whom disposed of	Amount of consideration if any, for which acquired or disposed of
1	2	3	4	5
				Rs.
			Total value	

PART II

Serial no.	Name of person liable	Person to whom liable	Nature of liability	Date on which liability was incurred	Approximate amount or value of liability
1	2	3	4	5	6
					Rs.
			Total value		

NOTE—Separate statement should be filed in the case of each Minister/Legislator or member of his family.

DECLARATION

I....., son of Sri....., solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in this statement is correct and complete.

PLACE..... .....

Date..... (*Signature*)

THE THIRD SCHEDULE

[Notification under section 6 of the Uttar Pradesh Ministers and Legislators (Publication of Assets and Liabilities) Act, 1975] :

Legislative Assembly/Legislative Council Secretariat

Dated, Lucknow.....

IT IS HEREBY published for public information that the following are the names of members of the Uttar Pradesh Legislative Assembly/Council and such Ministers as are not members of either House of the State Legislature from whom no statements of assets and liabilities have been received for publication:—

[1. Here give names and constituencies, and in case of Ministers who are not Legislators, the date of becoming Minister.]

2. The Statement received from members/Ministers are set out below for public information :—

[Here statements furnished by each member shall be reproduced.]

Signature——————

Secretary,

Legislative Assembly/Council.

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव ।

फी०एस०यू०पी०—ए०पी० 210 सा० (विधायिका)—1975—650 (मे०)